**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 956**

**22.11.2019 को उत्तर के लिए**

**सी.ए.एम.पी.ए.**

**956. श्री पी.पी. चौधरी:**

**श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः**

**क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) तेलंगाना सहित उन राज्यों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्होंने प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए खाते खोले हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सी.ए.एम.पी.ए. के अन्तर्गत वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;**

**(ग) क्या सरकार विभिन्न राज्यों द्वारा सी.ए.एम.पी.ए. निधियों के उपयोग की निगरानी करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(घ) धनराशि के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**

**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क) : दिनांक 14 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 4856 (अ) द्वारा कुल 31 राज्य काम्पा को अधिसूचित किया गया है। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 के तहत राज्य कोषों को अधिसूचित किया है। राज्य प्राधिकरणों की अधिसूचना अनुबंध-क में दी गई है। अधिसूचित राज्य कोषों की सूची अनुबंध-ख में दी गई है।**

**(ख) : विगत पांच वर्षों के दौरान तदर्थ काम्पा के तहत जारी की गई धनराशियों का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-ग में दिया गया है। अगस्त 2019 में राष्ट्रीय कोष से भी राज्य कोषों को 47436 करोड़ रूपए की धनराशि का संवितरण किया गया है। इसका ब्यौरा अनुबंध-घ में दिया गया है।**

**(ग) और (घ) : प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 की धारा-9 (3) के तहत एक निगरानी समूह के सृजन का प्रावधान किया गया है, जिसे पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। यह अधिसूचना अनुबंध-ड. में दी गई है। निगरानी समूह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किए गए कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रणाली विकसित करने हेतु उत्तरदायी होगा। यह समूह इन कार्यों का निरीक्षण और उनकी वित्तीय लेखा परीक्षा का कार्य भी करेगा। इसके अलावा, यह पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए उपाय सुझाएगा और यह समूह मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का भी उपयोग करेगा। इसके अलावा, राज्य वन विभागों का निगरानी और मूल्यांकन विंग नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करेगा। राज्यों की वार्षिक प्रचालन योजनाओं में भी “तीसरे पक्ष” की निगरानी से संबंधित अलग घटक को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना है।**

****

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

<u>अनुबंध-क</u>

का.आ. 4856 (अ). - प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (2018 का 38) की धारा 10 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में "राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण" नामक राज्य प्राधिकरणों के गठन की तारीख के रूप में 30 सितम्बर, 2018 को निर्धारित करती है:-

| क्रम सं. | राज्य प्राधिकरणों का नाम | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | आंध्र प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | आंध्र प्रदेश |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | अरूणाचल प्रदेश |
| 3 | असम प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | असम |
| 4 | बिहार प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | बिहार |
| 5 | छत्तीसगढ़ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | छत्तीसगढ़ |
| 6 | गोवा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | गोवा |
| 7 | गुजरात प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | गुजरात |
| 8 | हरियाणा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | हरियाणा |
| 9 | हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | हिमाचल प्रदेश |
| 10 | झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | झारखंड |
| 11 | कर्नाटक प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | कर्नाटक |
| 12 | केरल प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | केरल |
| 13 | मध्य प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | मध्य प्रदेश |
| 14 | महाराष्ट्र प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | महाराष्ट्र |
| 15 | मणिपुर प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | मणिपुर |
| 16 | मेघालय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | मेघालय |
| 17 | मिजोरम प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | मिजोरम |
| 18 | ओडिशा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | ओडिशा |
| 19 | पंजाब प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | पंजाब |
| 20 | राजस्थान प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | राजस्थान |
| 21 | सिक्किम प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | सिक्किम |
| 22 | तमिलनाडू प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | तमिलनाडू |
| 23 | तेलंगाना प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | तेलंगाना |
| 24 | त्रिपुरा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | त्रिपुरा |
| 25 | उत्तर प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | उत्तर प्रदेश |
| 26 | उत्तराखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | उत्तराखंड |
| 27 | पश्चिम बंगाल प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | पश्चिम बंगाल |
| 28 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | अंडमान और द्वीप समूह |
| 29 | चंडीगढ़ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | चंडीगढ़ |
| 30 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली |
| 31 | दादरा नगर हवेली प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण | दादरा नगर हवेली |

[फा. सं. 11-100/2015-एफसी (वोल. III]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

अनुबंध-ख

'सी.ए.एम.पी.ए.' के संबंध में 22.11.2019 को उत्तर के लिए सांसद श्री पी.पी. चौधरी और श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 956 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-ख

| क्रम सं. | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम | अधिसूचना की तिथि |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10.01.2019 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 19.02.2019 |
| 3. | असम | 11.02.2019 |
| 4. | बिहार | 27.12.2018 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 29.09.2018 |
| 6. | गोवा | 18.02.2019 |
| 7. | गुजरात | 25.02.2019 |
| 8. | हरयाणा | 08.04.2019 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 04.02.2019 |
| 10. | झारखंड | 13.02.2019 |
| 11. | कर्नाटक | 11.02.2019 |
| 12. | केरल | 05.02.2019 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 17.10.2018 |
| 14. | महाराष्ट्र | 01.03.2019 |
| 15. | मणिपुर | 28.03.2019 |
| 16. | मेघालय | 18.02.2019 |
| 17. | ओडिशा | 29.09.2018 |
| 18. | पंजाब | 12.02.2019 |
| 19. | राजस्थान | 31.01.2019 |
| 20. | सिक्किम | 20.03.2019 |
| 21. | तमिलनाडु | 06.03.2019 |
| 22. | तेलंगाना | 15.02.2019 |
| 23. | त्रिपुरा | 12.02.2019 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 22.02.2019 |
| 25. | उत्तराखंड | 28.09.2018 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 06.02.2019 |
| 27. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 02.05.2019 |
| 28. | चंडीगढ़ | 11.02.2019 |

**अनुबंध-ग**

**'सी.ए.एम.पी.ए.' के संबंध में 22.11.2019 को उत्तर के लिए सांसद श्री पी.पी. चौधरी और श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 356 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-ग**

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | राशि रूपए में | | | | |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 23,049,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 13,300,000.00 | 15,600,000.0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,350,000,000.00 | 850,000,000.00 | 890,000,000.00 | 970,000,000.00 | 1,044,700,000.00 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 475,000,000.00 | 620,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0 | 3,541,500,000.00 |
| 4 | असम | 0 | 0 | 300,000,000.00 | 700,000,000.00 | 458,400,000.00 |
| 5 | बिहार | 90,000,000.00 | 341,400,000.00 | 330,000,000.00 | 303,100,000.00 | 466,190,000.00 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1,982,000.00 | 21,179,000.00 | 10,000,000.00 | 11,300,000.00 | 12,700,000.00 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 1,930,000,000.00 | 2,390,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 0 | 0 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | दिल्ली | 40,000,000.00 | 39,100,000.00 | 40,000,000.00 | 0 | 0 |
| 11 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | गुजरात | 650,000,000.00 | 330,000,000.00 | 990,000,000.00 | 270,000,000.00 | 2,126,600,000.00 |
| 13 | हरियाणा | 230,000,000.00 | 640,000,000.00 | 180,000,000.00 | 800,000,000.00 | 1,442,000,000.00 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 1,010,000,000.00 | 854,700,000.00 | 1,506,200,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,325,200,000.00 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 340,000,000.00 | 310,000,000.00 | 1,020,000,000.00 | 690,000,000.00 | 0 |
| 16 | झारखंड | 1,750,000,000.00 | 1,410,000,000.00 | 1,490,000,000.00 | 2,340,000,000.00 | 2,862,500,000.00 |
| 17 | कर्नाटक | 650,000,000.00 | 600,000,000.00 | 851,200,000.00 | 860,000,000.00 | 1,014,000,000.0 |
| 18 | केरल | 45,397,000.00 | 0 | 0 | 80,000,000.00 | 146,100,000.00 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 895,000,000.00 | 2,130,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,687,600,000.00 |
| 21 | महाराष्ट्र | 1,480,000,000.00 | 1,550,000,000.00 | 2,050,000,000.00 | 1,990,000,000.00 | 2,250,000,000.00 |
| 22 | मणिपुर | 82,700,000.00 | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 | 295,000,000.00 | 248,500,000.00 |
| 23 | मेघालय | 0 | 165,600,000.00 | 0 | 70,000,000.00 | 0 |
| 24 | मिजोरम | 68,000,000.00 | 100,000,000.00 | 77,300,000.00 | 68,500,000.00 | 83,000,000.00 |
| 25 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ओडिशा | 1,800,000,000.00 | 3,220,000,000.00 | 4,260,000,000.00 | 5,090,000,000.00 | 5,540,000,000.00 |
| 27 | पुडुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | पंजाब | 410,000,000.00 | 490,000,000.00 | 660,000,000.00 | 640,000,000.00 | 792,000,000.00 |
| 29 | राजस्थान | 740,000,000.00 | 480,000,000.00 | 1,480,600,000.00 | 1,790,000,000.00 | 1,820,300,000.00 |
| 30 | सिक्किम | 137,000,000.00 | 110,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0 | 0 |
| 31 | तमिलनाडु | 0 | 35,200,000.00 | 90,000,000.00 | 126,800,000.00 | 70,000,000.00 |
| 32 | तेलंगाना | 350,000,000.00 | 760,000,000.00 | 1,170,000,000.00 | 1,270,000,000.00 | 2,373,800,000.00 |
| 33 | त्रिपुरा | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 | 120,000,000.00 | 71,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 449,118,400.00 | 1,770,000,000.00 | 970,000,000.00 | 1,440,000,000.00 | 1,506,000,000. |
| 35 | उत्तराखंड | 680,000,000.00 | 1,640,000,000.00 | 1,707,100,000.00 | 960,000,000.00 | 3,030,000,000.00 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 210,000,000.00 | 0 | 212,200,000.00 |
| | कुल | 15,75,72,46,400.00 | 21,22,71,79,000.00 | 26,34,24,00,000.00 | 24,04,90,00,000.00 | 35,23,58,90,000.00 |
| | | | | | | |

अनुबंध-घ

| | राज्य का नाम | अंतरित की जाने वाली निधियां ( करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|
| 1 | ओडिशा | 5933.98 |
| 2 | छत्तीसगढ़ | 5791.70 |
| 3 | मध्य प्रदेश | 5196.69 |
| 4 | झारखंड | 4158.02 |
| 5 | महाराष्ट्र | 3844.24 |
| 6 | तेलंगाना | 3110.38 |
| 7 | उत्तराखंड | 2675.09 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 1819.63 |
| 9 | राजस्थान | 1748.26 |
| 10 | आंध्र प्रदेश | 1734.81 |
| 1 1 | हिमाचल प्रदेश | 1660.72 |
| 12 | अरुणाचल प्रदेश | 1588.72 |
| 13 | गुजरात | 1484.60 |
| 14 | कर्नाटक | 1350.37 |
| 15 | हरयाणा | 1282.65 |
| 16 | पंजाब | 1040.84 |
| 17 | असम | 560.81 |
| 18 | बिहार | 522.95 |
| 19 | सिक्किम | 392.36 |
| 20 | मणिपुर | 309.76 |
| 21 | गोवा | 238.16 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 236.48 |
| 23 | मिजोरम | 212.98 |
| 24 | त्रिपुरा | 183.65 |
| 25 | मेघालय | 163.31 |
| 26 | तमिलनाडु | 113.42 |
| 27 | केरल | 81.59 |
| | कुल | 47436.18 |

**अनुबंध-ड.**

**फा. सं. 4-51/2019-एनए**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**(राष्ट्रीय काम्पा)**

**इंदिरा पर्यावरण भवन,**
**अलीगंज, ज़ोरबाग रोड,**
**नई दिल्ली-110003**
**दिनांक : 15 अक्तूबर, 2019**

**अधिसूचना**

**प्रतिपूरक निधि अधिनियम, 2016 के खंड 9 के उप खंड (3) के प्रावधान के तहत, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के 'निगरानी समूह' में निम्नलिखित विशेषज्ञों को तत्काल प्रभाव से दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है:**

1) **श्री अरूण कुमार बंसल, सेवानिवृत्त, आईएफएस;**
2) **श्री ए.के. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, आईएफएस;**
3) **डॉ. अजय सिंह राजावत, वैज्ञानिक अभियंता/जी समूह निदेशक, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), इसरो, अहमदाबाद (गुजरात)।**

**2. विशेषज्ञों की नियुक्तियों की शर्तें सीएएफ अधिनियम, 2016 तथा सीएएफ नियम, 2018 के अनुसार होंगी।**

**इस सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।**

**(ब्रिजेन्द्र स्वरूप)**
**उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**राष्ट्रीय काम्पा**

**सेवा में**

1. **श्री अरूण कुमार बंसल, सेवानिवृत्त, आईएफएस,**
   **304, न्यू ग्रीन वुड, सीजीएचएस, जीएच - 06, सेक्टर-52,**
   **गुरूग्राम (हरियाणा)।**

2. **श्री ए.के. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, आईएफएस,**
   **बी-4/107, प्रथम तल, सफदरजंग इंक्लेव,**
   **नई दिल्ली।**

3. **डॉ. अजय सिंह राजावत, वैज्ञानिक अभियंता/जी समूह निदेशक,**
   **अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी),**
   **इसरो, जोधपुर टेकरा, अहमदाबाद (गुजरात)।**

**प्रतिलिपि:**

1. **माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रधान सचिव।**

2. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
3. वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
6. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव/सचिव, वन।
7. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और एचओएफएफ।
8. राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

ह./-

(ब्रिजेन्द्र स्वरूप)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

राष्ट्रीय काम्पा